

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान मदन लाल बनाम रामेश्वर


मा संख्या/वर्ष टी0आई0 66/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-04-2025	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चारणवास, पटवार हल्का कालवाड, भू.अ.नि.क्षेत्र व तहसील कालवाड, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 39/4 रकबा 1.5934 है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 3.0857 है0, खसरा नम्बर 41/10 रकबा 0.5185 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है तथा सभी खातेदारों ने सहमति से निजि उपयोगार्थ डामर रोड डाल रखी है। अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 प्रार्थी के पिल्लर, तार जाली को हटाकर प्रार्थी को मौके से बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक तामील अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।</p>	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम चारणवास, पटवार हल्का कालवाड, भू.अ.नि.क्षेत्र व तहसील कालवाड, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 39/4 रकबा 1.5934 है, खसरा नम्बर 40 रकबा 3.0857 है, खसरा नम्बर 41/10 रकबा 0.5185 है पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथार्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/04/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।


जयपुर शहर प्रशासन